


(रा.श. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
सिवाना जिला बालोतरा  
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।  
महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम बाखी की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 324 में मेरा / हमारे नाम बाबुसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति दरोगा का सोहरे खारपर दर्ज है जो अशुद्ध है, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम बाबुसिंह पुत्र नारायण सिंह सोहरे खारपर है।  
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावे ।  
दिनांक :-

 अ. बाबुसिंह

हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक


प्रार्थी के आधार कार्ड, बैंक डायरी तथा नोटर कार्ड में प्रार्थी का नाम बाबुसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति दरोगा है तथा राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बाबुसिंह पुत्र नारायण जाति दरोगा दर्ज है जो कि अशुद्ध है इस प्रार्थी का नाम बाबुसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति दरोगा के स्थान पर बाबुसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति दरोगा नाम उचित है।

 रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार बाबुसिंह  
रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

Gems-2025/606

आदेश

क्रमांक / 1646


 तहसीलदार समदडी

दिनांक 10/10/2024

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम बाखी की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 324 में बाबुसिंह पुत्र नारायण बाबुसिंह पुत्र नारायण सिंह के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज



राजस्व रेकॉर्ड में अमल-दरामद की कार्यवाही की जावे ।



उपखण्ड अधिकारी सिवाना  
सिवाना, बालोतरा